समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री अरविन्द कुमार पे0 श्री छेदी प्रसाद यादव, ग्राम मौजमा थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा के नाम से एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-07/2001(शंकरपुर थाना) निर्गत है। इनके पत्नी श्रीमती प्रभा कुमारी द्वारा दिनांक 05-10-2013 को एक आवेदन पत्र समर्पित कर सूचित किया है कि इनके पति अस्वस्थ रहने के कारण ईलाज कराने बाहर गए हैं। इनके शस्त्र को सुरक्षित रखने हेतु पटना गन हाउस, पटना में दिनांक 26-09-2013 को जमा कर दिया गया है। बाहर से वापस आने के बाद शस्त्र सत्यापन करवाने की बात अंकित किया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। उल्लेखित तिथि को अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराए। पुनः छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए दिनांक 19-10-2013 निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को भी उपस्थित होकर श्री कुमार अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं। नैसर्गिक न्याय के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक 562 दिनांक 20-11-2013 के द्वारा पुनः नोटिस निर्गत करते हुए भौतिक सत्यापन हेतु 26-11-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उक्त तिथि को भी स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। श्री कुमार की पत्नी द्वारा दिनांक 26-11-2013 को आवेदन पत्र समर्पित कर पुरानी बातों को ही दुहराया गया है। बार-बार नोटिस निर्गत करने के बावजूद भी अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित किए हैं। इतना ही नहीं अनुज्ञप्तिधारी बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए अपने शस्त्र को अन्यत्र यथा पटना गन हाउस, पटना में जमा कर दिए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धारा एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन है।

अंचल अधिकारी, शंकरपुर एवं थानाध्यक्ष, शंकरपुर द्वारा निर्धारित तिथियों यथा 19-10-2013 को किए गए शस्त्र का भौतिक सत्यापन उपरान्त अपना संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि श्री अरविन्द कुमार अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं तथा ये कांड में फरार हैं। उनके विरुद्ध कुर्की/जप्ती की कार्रवाई हो चुकी है। नोटिस निर्गत कर बार-बार मौका दिए जाने पर भी उपस्थित होकर शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराना अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 के तहत लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु अंचल अधिकारी, शंकरपुर एवं थानाध्यक्ष, शंकरपुर से प्राप्त संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर श्री अरविन्द कुमार पे0 श्री छेदी प्रसाद यादव, ग्राम मौजमा थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-07/2001(शंकरपुर थाना) को रद्द किया जाता है तथा उनके अनुज्ञप्ति पर धारित रायफल सं0-ए.बी.02-3426, जो सम्प्रति पटना गन हाउस, पटना में जमा है, को जप्त किया जाता है।

व्यवस्थापक, मेसर्स पटना गन हाउस, फेजर रोड, पटना को निदेश दिया जाता है कि उनके संस्थान में जमा रायफल सं0-ए.बी.02-3426 बिना अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त किए संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र उपलब्ध नहीं कराऐंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त आशय की प्रविष्टि कार्यालय में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Meena 12/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 103 /शस्त्र, दिनांक 12-03-2014

प्रतिलिपि : जिला दंडाधिकारी, पटना/ पुलिस अधीक्षक, पटना/ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी, शंकरपुर/ थानाध्यक्ष, शंकरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : व्यवस्थापक, मेसर्स पटना गन हाउस, फेजर रोड, पटना / श्री अरविन्द कुमार पे0 श्री छेदी प्रसाद यादव, ग्राम मौजमा थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Meena 12/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।